भारतीय जनता पार्टी

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक
7–8–9 सितम्बर 2006
देहरादून (उत्तरांचल)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और कृषि मोर्चे पर संकट पर पारित प्रस्ताव

भारतीय जनता पार्टी भारत में कृषि और खाद्य सुरक्षा पर छाए बहु आयामी संकट के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करती है। एक तरफ तो हमारे लघु और अति लघु किसानों और भूमिहीन किसानों की खेती पर आधारित जीविका का क्षरण हुआ है, जो भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज के सबसे गरीब वर्गों की पहले ही चल रही कमजोर हालत (जिनमें कृषि पर निर्भर परिवार भी आ जाते हैं) भी जोखिम की स्थिति में पहुंच गई है क्योंकि उन्हें उनके अनाज के अधिकार से वंचित होना पड रहा है। इस संकट के पीछे कृषि क्षेत्र की लम्बे समय से चली आ रही उपेक्षा है, विशेष रूप से लघु तथा अति लघु किसानों की उपेक्षा की गई है और एक के बाद एक जितनी कांग्रेस सरकारें शासन में रहीं, जिनमें कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार भी शामिल है, उनकी गलत नीतियां रही हैं।

कृषि के सामने आंतरिक तथा बाह्य दोनों चुनौतियां हैं। कृषि संकट गहराता जा रहा है और किसानों का ऋण–बोझ बढ़ता जा रहा है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है। पिछले 50 वर्षों की भूलचूक की गलतियों के कारण कृषि की समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा इस संकट के निवारण के लिए किये जा रहे उपाय अनुपयुक्त साबित हुए हैं।

सरकार ने इस वर्ष को किसान का वर्ष घोषित किया है और यह वर्ष हमारी स्वतंत्रता की साठवीं जयंती भी है। आज हमारी जनसंख्या 1.1 बिलियन (101 करोड़) तक पहुंच गई है। हमारी कृषि–वृद्धि की वार्षिक औसत 1.3 प्रतिशत है। यह जनसंख्या वृद्धि से कहीं कम है, जो 1.8 प्रतिशत बैठती है।

सरकार की प्राथमिकता किसानों को सस्ते दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना होना चाहिए, मुर्गीपालन और डेयरी जैसे साधनों से वैकल्पिक आय की व्यवस्था करना होना चाहिए, किसानों के लिए उन्नत सिचांई और फसल बीमा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

किसानों की आत्महत्या की समस्या एवं तथा–कथित विशेष पैकेज

पिछले दो वर्षों में भारतीय किसानों पर डीजल, उर्वरकों, कीटनाशकों तथा सभी अन्य खेती में प्रयोग होने वाले बीजों–उपकरणों पर 30–40 प्रतिशत कीमतें बढ़ने से सबसे अधिक आहत होना पड़ा है। अधिकांश कृषि उत्पादों की कीमतें या तो स्थिर बनी रहीं या फिर एक तरफ तो मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक रूप से पहले से भी नीचे

गिर गई और दूसरी तरफ सरकार की गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ। उदाहरण के लिए देश में उत्पन्न सोया की कीमतें इस पर आयात शुल्क बढ़ने के कारण गिर गईं। गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 रूपए की नाममात्र मूल्य वृद्धि से पिछले वर्ष की कीमतों पर मात्र 1.8 प्रतिशत का अन्तर आता है जबकि मुद्रास्फीति की दर लगभग 5 प्रतिशत तक पहुंचकर दुगुनी से भी कहीं अधिक हो गई है। हमारे किसानों के लिए यह क्रूर उपहास नहीं, तो क्या है, जिसके लिए यूपीए सरकार की घोर निंदा की जानी चाहिए।

याद रहे कांग्रेस पार्टी ने 2004 के लोकसभा चुनावों में किसानों की आत्म हत्या को एक प्रमुख मुद्दा बनाया था।

इस संकट का अत्यंत आश्चर्यचकित और शर्मनाक नजारा ऋण के बोझ से दबे किसानों की बड़ी संख्या में हुई आत्म हत्याओं में मिलता है, जोकि अधिकांशतः आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में है या कर्नाटक राज्य में है, जहां अभी हाल तक उसका शासन रहा था। आंध्र प्रदेश में 4500 किसानों ने आत्महत्याएं कीं। महाराष्ट्र में यह संख्या लगभग 1000 है। यह बात भी स्पष्ट है कि किसानों की आत्महत्याओं की बात किसी एक प्रकार की फसल तक सीमित नहीं है। इसमें कई प्रकार की फसलें आ जाती है, जिसमें खाद्य फसल और नकदी फसल दोनों ही शामिल है।

कोई भी मनुष्य व्यक्तिगत जीवन में आने वाली साधारण उथल–पुथल के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करता है। जब आत्महत्याएं बडी संख्या में अनेक राज्यों में बार–बार होने लगती हैं और वह भी समाज के एक खास वर्ग में होती है तो स्पष्ट है कि इसका कारण व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समाजिक होता है। इस मामले में, संस्थागत ऋण व्यवस्था बिगड़ जाने से इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, कृषि उत्पादों की स्थिर और लाभकारी कीमत न मिलना भी एक कारण है और पानी, बिजली, बीज तथा उर्वरकों जैसी आवश्यक वस्तुओं की उचित दरों पर सुनिश्चित आपूर्ति का न होना भी इसका कारण है।

यूपीए सरकार किसानों की आत्महत्याओं की घटनाओं पर इस हद तक असंवेदनशील रही है कि इसे निष्ठुरता का नाम दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को सत्ता में आने के दो वर्ष बाद जाकर विदर्भ जाने का समय मिला, जहां महाराष्ट्र में अधिकांश आत्महत्याएं हुईं। वहां की यात्रा भी उन्होंने तब की जब वहां राजनैतिक तथा मीडिया क्षेत्रों में हा–हाकार मचने लगा। तथ्य यह है कि उनके द्वारा राहत और पुनर्वास पैकेज की घोषणा के बावजूद भी विदर्भ में आत्महत्याओं का दौर निरन्तर चलता ही रहा जिससे पता चलता है कि यह समस्या कितनी गम्भीर है एवं किस हद तक किसानों के दिलों तक घर कर गई है। प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद से लेकर अब तक 100 से अधिक किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। भाजपा इस पर अपना गहरा आक्रोश प्रकट करती है कि जहां प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की, वहीं वह किसानों की आत्महत्याओं से प्रभावित अन्य राज्यों की इसी प्रकार की मांगों पर वह खामोश बने रहे।

विदर्भ के पैकेज से इस संकट के निवारण के लिए अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक कोई प्रभाव नहीं पड़ सकेगा। पैकेज में एक लाख रूपए तक का भुगतान न करने और ब्याज माफी दोनो को ही शामिल किया जाना चाहिए।

बारीकी से जांच करने से पता चलता है कि इस राशि का बड़ा हिस्सा आम बजट प्रावधान का भाग है। सिंचाई के लिए 2177 करोड़ रूपए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नियमित प्रावधान है, जो इन क्षेत्रों को मिलना ही था। इसके अलावा इस आवंटन में राज्य सरकार को ऋण तथा सब्सिडी का मिला–जुला स्वरूप है। इस आवंटन से सरकारी खजाने का भार बढ़ेगा ही। 2177 करोड़ रूपए के पैकेज में जिन छह जिलों को शामिल किया है उनमें 80 प्रमुख और 442 लघु सिंचाई परियोजनाएं शामिल है। अर्थात् इसका पैसा वर्तमान कार्यक्रमों से आएगा।

भाजपा मांग करती है कि सरकार को नाम मात्र का पैकेज न कर, राष्ट्रीय पैकेज लेकर आना चाहिए।

आवश्यकता इसकी है एक व्यापक राष्ट्रीय पैकेज की जिसमें निम्नलिखत शामिल हों– समय पर पर्याप्त ग्रामीण ऋण उपलब्ध हों, सभी प्रभावी किसानों के ब्याज, विशेष रूप से वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों के ब्याज के माफी मिले, ऋणों का पुनर्निर्धारण तथा नए ऋणों की मंजूरी, सभी राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे राष्ट्रीय व्यापक आय बीमा योजनाओं में शामिल हों, सभी किसानों के लिए अच्छे बीज उपलब्ध कराएं, कृषि उत्पादों का लाभप्रद मूल्य मिले, वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्तमान लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बने, मूल्य वृद्धि, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें और पर्याप्त सब्सिडी के साथ बागबानी पर बल दिया जाए, पिछवाडे में छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों में मुर्गी–पालन तथा दुग्ध–पशुओं की व्यवस्था हो, कीमतों के बारे में सूचना देने की व्यवस्था की जाए और एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई कोल्ड स्टोरेज तथा ग्रामीण गोदाम योजना को मजबूत बनाया जाए।

इसलिए पार्टी किसानों की आत्महत्याओं पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग करती है ताकि इस बहु–आयामी संकट के प्रति बहु–आवश्यक सम्पूर्ण दृष्टिकोण को तैयार किया जा सके।

भाजपा का आग्रह है कि सरकारों को राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा दिए गए पांच सुझावों पर तेजी से अमल करना चाहिए जैसे रिस्क स्टेब्लाइजर फंड, फार्मर–सेंट्रिक न्यूनतम समर्थन मूल्य और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम तथा इन्हें 11वीं योजना में शामिल किया जाए।

भाजपा का सुझाव है कि सरकार को बड़ी मात्रा में ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर निवेश करना चाहिए जैसे सिंचाई, जल निकास, सड़कें, बाढ़–नियंत्रण जो वास्तव में समस्या का समाधान करने में सहायक होंगी और इनके साथ ही सस्ता और समय पर ऋण देने की व्यवस्था की जाए।

भाजपा का सुझाव भी देती है कि सरकार जल प्लावन, जल संचय एवं जैविक तथा माइक्रो न्यूट्रियंट के माध्यम से मृदा उत्पादकता में सुधार करे। जल प्लावन को आवश्यक बनाया जाना चाहिए। गुजरात सरकार ने 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' जारी किए है। अन्य राज्य भी ऐसा कर सकते है। गुजरात सरकार ने एक उदाहरण हम सबके सामने रखा हैं और इसलिए भाजपा सभी राज्य सरकारों का आह्वान करती है कि वे इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करें।

प्राकृतिक विपदा

इस समय अनेक राज्य बाढ़ की त्रासदी से गुजर रहे हैं, जिनमें गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र प्रमुख हैं। इसी तरह आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ इलाके सूखे की चपेट में हैं।

केन्द्र की यूपीए सरकार बाढ़ और सूखे की त्रासदी में राज्यों को सहयोग करने के बजाए भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के बीच भेदभाव कर रही हैं।

भाजपा मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से बाढ़ एवं सूखा से पीड़ित राज्यों को केन्द्र सरकार सभी तरह की मदद करें और इस राष्ट्रीय विपदा के समय भेदभाव का बर्ताव न करते हुए उदार मानसिकता का परिचय दें।

ग्रामीण ऋणों की समस्या

भारतीय कृषि के संकट का महत्वपूर्ण आयाम ग्रामीण ऋणों की वर्तमान स्थिति से जुडा है। सरकारी आंकडों से पता चलता है कि गांव के केवल 52 प्रतिशत परिवारों को ही कमर्शियल बैंकों और सहकारी समितियों से संस्थागत ऋण मिल पाते हैं। यह एक राष्ट्रीय औसत है। जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की संस्थाएं कम हैं, वहां यह प्रतिशत और भी कम है। ग्रामीण जनसंख्या के बाकी लोगों को निजी साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता है जो बहुत भारी ब्याज दरों पर उधार देते हैं। और वह भी गरीब तथा अति निर्धन किसानों की अल्प सम्पत्तियों को गिरवी रख कर ऋण देते हैं। वस्तुतः किसानों की आत्महत्याओं के बारे में प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि उनमें से कई किसान बहुत अधिक गरीब किसान नहीं थे। उन पर भी प्राइवेट ऋण था, जिसे वे चुका नहीं सके क्योंकि बार–बार उनकी फसल बर्बाद हो गई, उनके कृषि पदार्थों की कीमतें गिर गईं और अन्य कारण रहे। इससे पता चलता है कि ग्रामीण ऋण प्रणाली का संरक्षणकारी प्रकार या तो लुप्त हो गया या बुरी तरह से चरमरा गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्य रखा है कि बैंक अपने ऋणों का 18 प्रतिशत ऋण किसानों को दे। पिछले दो वर्षों में यह औसत ऋण का प्रतिशत 11 से 12 प्रतिशत है।

ऐसी नई व्यवस्था होनी चाहिए कि वेतनभोगी कर्मचारियों को निजी तथा सामाजिक खर्च पूरे करने के आधार पर ही किसानों को व्यक्तिगत ऋण मिलने चाहिए। भाजपा

यह भी मांग करती है। भाजपा मांग करती है कि कृषि ऋण पर पीनल ब्याज न लगाया जाए।

खाद्य सुरक्षा की समस्या

हालांकि भारत में गरीबी कम हो रही है, लेकिन वास्तव में गरीबों व गरीबी रेखा के आस–पास जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा (खासतौर पर पोषक सुरक्षा, जो भोजन की स्वास्थ्यवर्द्धक गुणवत्ता निश्चित करती है) कम हो रही है। एक आकलन के अनुसार 20 करोड़ लोगों को उचित मात्रा में आहार उपलब्ध नहीं है और 5 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं। हाल में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार 44 फीसदी परिवार को कम कैलोरी मिलती हैं।

इस स्थिति का अवश्यसंभावी नतीजा देश के तमाम भागों में यहां तक कि अपेक्षाकृत संपन्न राज्य महाराष्ट्र में हतप्रभ करने वाली किसानों की आत्महत्या, तमाम संख्या में खासतौर पर जनजातीय अत्यधिक कुपोषित बच्चों की मौत के रूप में आया है। यह बात और भी विस्मयकारी है कि यूपीए सरकार ने समस्या को मानने से इनकार कर दिया। ग्यारहवीं योजना के लिए प्रस्ताव पत्र पर हाल ही में जारी लेख में, जिसे यूपीए सरकार ने निर्माण किया है, खाद्य और पोषक सुरक्षा की एक बार भी चर्चा नहीं हुई है।

विश्व व्यापार संगठन

विकसित देशों द्वारा दी जा रही फार्म सब्सिडी के मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन में बनी अनिर्णय की स्थिति से भारतीय किसानों के हितों को चोट पहुंच रही है। फार्म सब्सिडी अभी तक मौजूद है। विकसित देशों के अपेक्षाकृत सस्ते उत्पाद विश्व बाजार में छाये हुए है। विकसित देशों के 'सरप्लस' या 'अति उत्पादन' का विश्व बाजार को कोई खरीदार नहीं है। उसके द्वारा घरेलू बाजार में की जा रही 'डंपिंग' से कृषि उत्पादों की कीमतें स्थानीय स्तर पर गिर रही है।

आयात की समस्या

भाजपा 35 लाख टन गेंहू के आयात की यूपीए सरकार की कार्यवाही का जोरदार विरोध करती है, जिसका मकसद खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टाक को बढ़ाना है। भारत की खाद्य सुरक्षा की बात तो दूर वास्तव में आयात खाद्य निर्भरता और खाद्य असुरक्षा के नुस्खे हैं।

आयात प्राकृतिक विपदा के कारण ही नहीं जरूरी हो गए, बल्कि भ्रष्ट्र यूपीए सरकार की अनर्थकारी वित्तीय और आर्थिक नीतियों के वजह से भी हैं। इसका कारण यह भी है कि यूपीए सरकार ने समय पर खरीदी नहीं की। खरीद में भारी कमी इसलिए आयी कि सरकार द्वारा निर्धारित गेंहू का समर्थन मूल्य बाजार में गेहूं के मूल्य से कम था। मई 2006 में सरकार ने समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 50 रूपये बोनस के

साथ 650 रूपये घोषित किया। यह स्पष्ट संकेत है कि सरकार की नीतियों में योजना व दिशा की कमी है।

प्राइवेट खरीदारों ने सरकार द्वारा प्रस्तावित मूल्य से ज्यादा कीमत देकर गेहूं को खरीद लिया। सरकार की एजेंसिया ने देरी की और पर्याप्त खरीदी न हो सकी। जिसका नतीजा यह निकला कि एफसीआई गोदामों में स्टाक में कमी आई।

आयात समस्या का स्थाई इलाज नहीं है, क्योंकि यह घरेलू उत्पादन को नष्ट करती है। सरकार को हर हाल में घरेलू उत्पादनकर्ताओं के हितों को सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। मलेशिया से खाद्य तेल और पाम ऑयल, श्री लंका से चाय, काफी, वियतनाम, श्री लंका और थाईलैंड से मसाले किसानों के हितों को चोट पहुंचाते हैं। यह भारतीय कृषि को नष्ट करने जा रहे हैं और बागवानी तो सबसे अधिक चपेट में है। इसके बारे में तुरन्त पुर्नविचार होना चाहिए।

भाजपा यूपीए सरकार पर आरोप लगाती है कि इसने विदेशी अनाज कंपनियों को फायदा पहुंचाया है, जबकि भारतीय किसानों की जीविका की अनदेखी की गई। यह बात इससे प्रमाणित हो जाती है कि सरकार आयात के लिए 1000 रूपये प्रति क्विंटल (अमेरिकी 21.3 डालर) दे रही है, जबकि घरेलू किसानों को महज 650 रूपये प्रति क्विंटल (15 डालर) के हिसाब से भुगतान किया गया। यही नहीं आयात के दौरान विदेशी कंपनियों के लिए खाद्य गुणवत्ता पर सरकार ने समझौता किया है।

जैविक खेती

सरकार को जैविक कृषि को प्राथमिकता और प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे विषैले 'कृषि रसायनों' के मद में होने वाले खर्च का भार किसानों के सिर से कम होगा।

किसानों के मेडिकल बीमा

सरकार को छोटे और मंझोले किसानों के लिए एक मेडिकल बीमा योजना पर विचार करना चाहिए। साथ ही कृषि मजदूरों के लिए कम बीमा प्रीमियम राशि वाली बीमा योजना पर भी विचार करना चाहिए।

कृषि भूमि का अधिग्रहण

किसानों पर भूमि अधिग्रहण से प्रतिकूल सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ते है। इससे वे अपनी जमीन, आजीविका और रोजगार खो देते हैं। भूमि अधिग्रहण के कानूनों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। जिससे किसानों को अपनी भूमिका बाजार दर पर हरजाना मिल सके और उन परियोजनाओं में रोजगार मिल सके जिसके लिए भूमि अधिग्रहीत की गयी है। साथ ही उन्हें विकास में सहयोगी बनाने के लिए विकसित किये गये भूखंडों को देने में प्राथमिकता दी जाये।

कृषि क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं के लिए लैंगिक संवेदनशीलता

भाजपा मांग करती है कि ऋण डिलीवरी सिस्टम में किसी तरह का लिंग भेद नहीं होना चाहिए क्योंकि कृषि क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती है। उनकी संख्या चाय बागानों, मत्स्य पालन एवं काजू के उत्पादन कार्य में काफी अधिक है। उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए ग्याहरवी पंचवर्षीय योजनाओं को इस क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक उपायों पर विचार करना चाहिए।

घरेलू विकसित खाद्य सुरक्षा की योजना

भाजपा घरेलू विकसित खाद्य सुरक्षा के अपनाने पर मांग करती है, जिसमें निम्न तत्व शामिल होने चाहिएः

- खाद्य उत्पादन जैसे, अनाज, दालें, तिलहन और दूसरे खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक दीर्घ योजना बनानी चाहिए। योजना का मुख्य ध्यान खेतों की उत्पादकता बढ़ाना, फसलों का विविधीकरण, सिचाई की सुविधाओं का विस्तार और कृषि आधारित गतिविधियों का विकेंद्रीकरण ताकि ज्यादा लाभ मिले इस पर होना चाहिए।

- दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में कहा गया है कि कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारण सिंचित क्षेत्रों का कम होना है, जो बोई गए क्षेत्रों सिर्फ 40 फीसदी है। आज सिंचाई की छोटी–बड़ी तमाम परियोजनाएं अधूरी हैं, जिसमें से कुछ तो दस साल से अधूरी पड़ी हैं। भाजपा मांग करती है कि ये सभी अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित की जाएं और पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप में केंद्रीय सहायता से एक ही कार्यकारी प्राधिकरण द्वारा पूरी की जाय।

- भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपने तरह का संसार की सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है। हालांकि यह अक्षमता, चोरी और भ्रष्टाचार से लिप्त है। : खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ जरूरी लोगों तक पहुंचे, भाजपा का सुझाव है कि फूड स्टेम्प प्रोग्राम की प्रभावकारिता की खोज करें, जिसमें सभी जरूरतमंद लोग जैसे वृद्ध, अभागे, विकलांग और उस क्षेत्र के सभी परिवार शामिल हों, जिन्हें अरसे से चली आ रही कुपोषित आबादी के रूप में चिन्हित किया गया है। (वास्तव में, पीएसपी दसवीं योजना में प्रस्तावित प्रस्तावों में एक है)

- वाजपेई सरकार ने दिसंबर 2000 में अन्त्योदय अन्न योजना को शुरू किया, जो संसार की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा पहल बनी रही। बड़े अफसोस की बात है कि यूपीए सरकार ने इसे देश के सभी जरूरतमंद लोगों तक न फैला सकी। भारत जैसे विशाल देश में जहां टारगेट ग्रुप काफी बड़ा है, वहां यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी कुपोषित आबादी तक ध्यान दिया जाय। दरअसल, सार्वभौमिक योजना किसी लक्ष्यित योजना से बेहतर होती है।

- सार्वभौमिक मिड डे आहार योजना को जोरदार ढंग से लागू करना चाहिए। इसको लागू करने में गैर सरकारी संगठन और धार्मिक संस्थाओं की मदद लेनी चाहिए।

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का विस्तार प्रभावकारी काम के बदले अनाज के साथ सभी जिलों तक कर देना चाहिए।

- भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि भारतीय बीज कानून में ऐसा सुधार किया जाए जिसमें बीज के घोषित परिणाम न मिलने पर उत्पादक एवं वितरक को जिम्मेवार ठहराया जाए।

- भारतीय जनता पार्टी सरकार से आग्रह कारती है कि एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गयी प्रस्तावित नदियों को जोडने की योजना के लागू करने में और विलम्ब न करें। क्योंकि इससे अनेक समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान होगा।

- भाजपा यह मांग करती है कि कृषि ऋण पर ब्याज दर की समीक्षा की जानी चाहिए और धीरे–धीरे इन्हें कम किया जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने अधिकतम 3 लाख रुपए के कृषि ऋणों पर 4 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर को सब्सिडाइज करने का काम किया है। इस प्रयोग को राष्ट्रीय स्तर पर परखे जाने की आवश्यकता है।

- भाजपा, सरकार से यह मांग करती है कि वह किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ अर्हता प्राप्त सभी किसानों तक पहुंचायें।

——————